Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी झालावाड़ में पदस्थापित श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की आकस्मिक चैकिंग के दौरान संदिग्ध व अवैध राशि 9,35,000/— रूपये जप्त।**

जयपुर, 28 जून, शनिवार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि एसीबी चौकी एस.यू.—प्रथम को विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी चौकी झालावाड़ में पदस्थापित श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्ट आचरण पूर्वक लोक कृतव्यों का निर्वहन किया जा रहा है। श्री जगराम मीणा की आम छवि आमजन व राज्य सरकार के अन्य विभागों में भी सही नहीं है। ऐसा पाया गया कि श्री जगराम मीणा द्वारा एसीबी चौकी झालावाड़ में पदस्थापित होने से ही झालावाड़ जिले के सरकारी कार्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों व कर्मचारियों को सुविधा शुल्क व भ्रष्टाचार करने की छूट प्रदान की जा रहीं है। श्री जगराम मीणा द्वारा सरकारी कार्यालयों के अधिकारी व कर्मचारियों को डरा धमकाकर मासिक बंधी व सुविधा शुल्क अवैध रूप से प्राप्त किया जा रहा है।

यह भी ज्ञात हुआ की श्री जगराम मीणा प्रत्येक शुक्रवार को जयपुर अपने निवास स्थान पर आने से पूर्व जिला झालावाड़ में मासिक बंधी व सुविधा शुल्क सरकारी कार्यालयों से प्राप्त कर अपनी गाडी स्विफ्ट डिजायर रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 14 एसी 6215 में संदिग्ध अवैध राशि रखकर जयपुर आते है। श्री जगराम मीणा की 02 माह से निगरानी की जा रही थी। श्री जगराम मीणा एक बार पहले भी संदिग्ध अवैध राशि प्राप्त कर जयपुर आ रहे थे लेकिन एसीबी के जाल में फस नही पाया। श्री जगराम मीणा श्री सुरेन्द्र शर्मा अति. पुलिस अधीक्षक की ट्रेप कार्यवाही के पश्चात सर्तक हो गया था। दिनांक 27.06.2025 को विश्सनीय गोपनीय सूत्रों से सूचना मिली श्री जगराम मीणा आज सरकारी कार्यालयों के लोकसेवकों से मोटी अवैध राशि प्राप्त कर अपनी कार में रखकर झालावाड से जयपुर आ रहे है।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह** के सुपरविजन में एसीबी एस.यू. प्रथम जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र सिंह** के नेतृत्व में दिनांक 27.06.25 **पुलिस निरीक्षक श्रीमती अर्चना मीणा** द्वारा बरखेडा टोल प्लाजा शिवदासपुरा पर मय टीम के कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की गाडी स्विफ्ट डिजायर रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 14 एसी 6215 की आकस्मिक चैकिग व तलाशी ली जाने पर एक प्लास्टिक का फोल्डर में अखबार में लिपटे हुए 500—500 रूपये की दस गडियॅा कुल राशि 5,00,000/—रूपये एक पीले रंग का लिफाफा जिसमें 500—500 रूपये की चार गडियॉ कुल राशि 2,00,000/—रूपये, दो अलग—अलग लिफाफे जिसमें कुल राशि 1—1 लाख (कुल 02 लाख)/रूपये व एक लाल रंग के लेदर के बैग में रखे पीले रंग का लिफाफे में 500—500 रूपये के 70 नोट कुल राशि 35,000/—रूपये होना पाया गया, इस प्रकार कुल संदिग्ध अवैध राशि 9,35,000/—रूपये होना पायी गयी। उक्त राशि वैध होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज व वैध प्रमाण एवं साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया ना ही कोई संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत किया गया। संदिग्ध लोकसेवक का कृत्य एक दिन चैक पीरियड आय से अधिक सम्पति का पाया जाने से संदिग्ध राशि 9,35,000/—रूपये मय लिफाफे के जप्त की गयी।

श्री जगराम मीणा के निवास स्थान मकान नम्बर 31 चकरोल जेडीए कॉलोनी एसके आईटी के पीछे जगतपुरा जयपुर की खाना तलाशी श्री सुनील सिहाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में की जाने पर भारी मात्रा में नगद राशि 39,50,000/— रूपये मिलने पर जप्त की गयी तथा फ्लेट के कागजात एवं 85 बोतल अग्रेजी शराब की अवैध रूप से मिलने पर सम्बन्धित पुलिस थाना द्वारा प्रकरण दर्ज करवाया गया।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में संदिग्ध लोकसेवक श्री जगराम मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से पूछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।